



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 5, 2010/चैत्र 15, 1932

No. 622]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 5, 2010/CHAITRA 15, 1932

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

का.आ. 749(अ).—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने और इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना तैयार करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 1-13/2009-ई. ई.-4]

अनिता कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2010

S.O. 749(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Central Government hereby authorises the National Council of Educational Research and Training as the academic authority to lay down the curriculum and evaluation

1235 GI/2010

procedure for elementary education, and to develop a framework of national curriculum under clause (a) of sub-section (6) of Section 7 of the Act.

[F. No. 1-13/2009-EE-4]

ANITA KAUL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

का.आ. 750(अ).—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 1-13/2009-ई. ई.-4]

अनिता कौल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2010

S.O. 750(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Central Government hereby authorises the National Council for Teacher Education as the academic authority to lay down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher.

[F. No. 1-13/2009-EE-4]

ANITA KAUL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2010/भाद्र 3, 1932

No. 215]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2010/BHADRA 3, 1932

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

फा. सं. 61-03/2010/एनसीटीई (एन एंड एस).—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 750(अ) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्वारा इस अधिसूचना की तिथि से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खण्ड (ढ) में संदर्भित स्कूलों में कक्षा I से VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है :—

1. न्यूनतम योग्यता —

(i) कक्षा I-V

(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)

और

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित [अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) में उत्तीर्ण]।

(ii) कक्षा VI-VIII

(क) बी.ए./बी.एससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ए. / बी.एससी. एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.)

या

न्यूनतम 45% अंकों के साथ बी.ए./बी.एससी एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी एड. या बी.ए.एड./बी.एससी.एड.

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ए./बी.एससी एवं एकवर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

और

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित [अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) में उत्तीर्ण]।

2. अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम — इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा मान्यता-प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता-प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।

3. विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण — वह व्यक्ति,

(क) जिसके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ए./बी.एससी और बी.एड. योग्यता है, कक्षा I से V में नियुक्ति के लिए 1 जनवरी, 2012 तक पात्र होगा, बशर्ते कि वह नियुक्ति के बाद

प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त 6-माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर ले ।

(ख) जिसके पास डी. एड. (विशेष शिक्षा) या बी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6-माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

4. इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक :— इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा I से VIII के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपर्युक्त पैरा (1) में निर्धारित न्यूनतम योग्यतां हासिल करने की आवश्यकता नहीं है :—

(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त अध्यापक ।

किन्तु बी.एड. की योग्यता रखने वाले कक्षा I से V के अध्यापकों या बी.एड. (विशेष शिक्षा) या डी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त 6-माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(ख) कक्षा I से V के शिक्षा स्नातक (बी.एड.) योग्यताधारी अध्यापक जिसने पूर्व में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित 6-माह का विशेष आधारभूत अध्यापक पाठ्यक्रम (विशेष बी.टी.सी.) पूरा कर लिया है ।

(ग) भर्ती नियमों के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 से पहले नियुक्त अध्यापक।

5. कुछ मामलों में इस अधिसूचना की तिथि के बाद नियुक्त अध्यापक — इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार की जा सकती हैं।

हसीब अहमद, सदस्य-सचिव
[विज्ञापन III/4/131/10-असा.]

**NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd August, 2010

F. No. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), and in pursuance of Notification No. S.O. 750 (E) dated 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby lays down the following minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in class I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, with effect from the date of this Notification :—

1 Minimum Qualifications.-

(i) Classes I-V

(a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 - year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2 - year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations 2002

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B. El. Ed.)

OR

3344 GI/10-2

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 - year Diploma in Education (Special Education)

AND

(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

(ii) **Classes VI-VIII**

(a) B.A./B.Sc and 2 - year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

B.A./B.Sc. with at least 50% marks and 1 - year Bachelor in Education (B. Ed)

OR

B.A./B.Sc. with at least 45% marks and 1 - year Bachelor in Education (B. Ed), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B. El. Ed)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year BA/B.Sc. Ed or B.A. Ed./BSc. Ed.

OR

B.A./B.Sc. with at least 50% marks and 1 - year B.Ed. (Special Education)

AND

(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

2 Diploma/Degree Course in Teacher Education.- For the purposes of this Notification, a diploma/degree course in teacher education recognized by the National Council for Teacher Education (NCTE) only shall be considered. However, in case of Diploma in Education (Special Education) and B. Ed (Special Education), a course recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered.

3 Training to be undergone.- A person -

(a) with BA/B.Sc. with at least 50% marks and B. Ed qualification shall also be eligible for appointment for class I to V upto 1st January, 2012, provided he undergoes, after appointment, an NCTE recognized 6-month special programme in Elementary Education.

(b) with D. Ed (Special Education) or B. Ed (Special Education) qualification shall undergo, after appointment, an NCTE recognized 6-month special programme in Elementary Education.

4 Teacher appointed before the date of this Notification.- The following categories of teachers appointed for classes I to VIII prior to date of this Notification need not acquire the minimum qualifications specified in Para (1) above,:

(a) A teacher appointed on or after the 3rd September, 2001 i.e. the date on which the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time) came into force, in accordance with that Regulation.

Provided that a teacher of class I to V possessing B. Ed qualification, or a teacher possessing B. Ed (Special Education) or D. Ed (Special Education) qualification shall undergo an NCTE recognized 6 - month special programme on elementary education.

(b) A teacher of class I to V with B. Ed qualification who has completed a 6-month Special Basic Teacher Course (Special BTC) approved by the NCTE;

(c) A teacher appointed before the 3rd September, 2001, in accordance with the prevalent Recruitment Rules.

5 Teacher appointed after the date of this Notification in certain cases.- Where an appropriate Government, or local authority or a school has issued an advertisement to initiate the process of appointment of teachers prior to the date of this Notification, such appointments may be made in accordance with the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time).

HASIBAHMAD, Member-Secy.
[ADVT III/4/131/10-Exty.]



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2011/श्रावण 11, 1933

No. 158]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2011/SRAVANA 11, 1933

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2011

फा. सं. 61-1/2011/राअशिप(मा. तथा मा.).—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के खण्ड 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 750(अ) के अनुसरण में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) एतद्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के वास्ते न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करने वाली दिनांक 23 अगस्त, 2010 की फा. संख्या 61-1/2010-राअशिप (मा. तथा मा.) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित संख्या 215 दिनांक 25 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में एतद्वारा निम्न संशोधन करती है (जिसका उल्लेख मूल अधिसूचना के रूप में किया जाएगा)—

(1) मूल अधिसूचना के पैरा 1 के उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

1. न्यूनतम अर्हताएं :-

(i) कक्षा I से V

(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में पास होना।

(II) मूल अधिसूचना के पैरा 1 के उप-पैरा (ii) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

1. (ii) कक्षा VI—VIII

(क) स्नातक और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

(III) मूल अधिसूचना के पैरा 3 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

(1) प्राप्त किया जाने वाला प्रशिक्षण—ऐसा व्यक्ति भी—

(क) जिसने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और बी.एड. अर्हता अथवा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) उत्तीर्ण किया हो, जनवरी, 2012 तक कक्षा I से V तक के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र होगा बशर्ते कि नियुक्ति के बाद वह प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा कर ले।

(ख) वह व्यक्ति, जिसने डी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा करेगा।

(ग) आरक्षण नीति : आरक्षित श्रेणियों जैसे कि एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./पी.एच. आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

(IV) मूल अधिसूचना के पैरा 5 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

5. (क) कुछ मामलों में इस अधिसूचना की तिथि के बाद नियुक्त अध्यापक : इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियां, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार की जा सकती हैं।

(ख) इस अधिसूचना में उल्लिखित न्यूनतम योग्यता मानदण्ड भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान आदि के अध्यापकों के मामले में लागू होते हैं। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के मामले में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम योग्यता मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्य शिक्षा आदि के अध्यापकों के मामले में राज्य सरकारों तथा अन्य स्कूल प्रबन्धक वर्गों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि ऐसे अध्यापकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर देती।

विक्रम सहाय, संयोजक

[विज्ञापन III/4/131/2011/असा.]

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 की फा. सं. 61-1/2011/राअशिप (मा. तथा मा.) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III के खण्ड 4 में प्रकाशित हुई थी।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2011

F. No. 61-1/2011/NCTE(N&S).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 23 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) and in pursuance of the Notification No. S.O. 750(E), dated 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby makes the following amendments to the Notification No. 215 dated 25th August, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part - III, Section - 4, vide F.No. 61-1/2011-NCTE(N&S), dated the 23rd August, 2010, laying down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher (hereby referred to as the Principal Notification), namely:—

(I) For sub-para (i) of para 1 of the Principal Notification, the following shall be substituted, namely:—

1. Minimum Qualifications:—**(i) Classes I—V**

(a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations, 2002.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Education (Special Education)

OR

Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

AND

(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

(II) For sub-para (ii) of para 1 of the Principal Notification, the following shall be substituted, namely:—

1 (ii) Classes VI—VIII

(a) Graduation and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Graduation with at least 50% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.)

OR

Graduation with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year B.A. / B.Sc.Ed. or B.A. Ed./B.Sc.Ed.

OR

Graduation with at least 50% marks and 1-year B.Ed. (Special Education)

AND

(b) Pass in Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

(III) For para 3 of the Principal Notification the following shall be substituted, namely :—

(i) Training to be undergone.—A person—

(a) with Graduation with at least 50% marks and B.Ed. qualification or with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard, shall also be eligible for appointment to Class I to V up to 1st January, 2012, provided he/she undergoes, after appointment, an NCTE recognized 6-month Special Programme in Elementary Education;

(b) with D.Ed. (Special Education) or B.Ed. (Special Education) qualification shall undergo, after appointment an NCTE recognized 6-month Special Programme in Elementary Education.

(ii) Reservation Policy :

Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as SC/ST/OBC/PH.

(IV) For para 5 of the Principal Notification, the following shall be substituted, namely:—

5. (a) Teacher appointed after the date of this notification in certain cases :—Where an appropriate Government or local authority or a school has issued an advertisement to initiate the process of appointment of teachers prior to the date of this Notification, such appointments may be made in accordance with the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time).

(b) The minimum qualification norms referred to in this Notification apply to teachers of Languages, Social Studies, Mathematics, Science, etc. In respect of teachers for Physical Education, the minimum qualification norms for Physical Education teachers referred to in NCTE Regulation dated 3rd November, 2001 (as amended from time to time) shall be applicable. For teachers of Art Education, Craft Education, Home Science, Work Education, etc. the existing eligibility norms prescribed by the State Governments and other school managements shall be applicable till such time the NCTE lays down the minimum qualifications in respect of such teachers.

VIKRAM SAHAY, Convener

[ADVT-III/4/131/2011/Exty.]

Note :—The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* Number F. 61-3/2011-NCTE (N&S), dated the 23rd August, 2010.

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

“ शिक्षक पात्रता परीक्षा – उत्तर प्रदेश” (UP-TET) –2011 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक निर्देश

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23-8-2010 द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गयी है। उक्त के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा आयोजित “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। शासनादेश संख्या -1828/15-11-2011 दिनांक 07 सितम्बर, 2011 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस परीक्षा में आवेदन करने हेतु इच्छुक परीक्षार्थियों को परिषद द्वारा निर्धारित ओ०एम०आर० आवेदन पत्र भरना होगा जिसे नियत शुल्क नकद जमा करने पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के पंजाब नेशनल बैंक की निर्धारित शाखाओं से प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपने राज्य की परिसीमा में संचालित सभी प्रकार के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालय में (कक्षा 1-8 तक) गुणवत्तापूरक शिक्षण सुनिश्चित करने हेतु संचालित यह परीक्षा “ शिक्षक पात्रता परीक्षा – उत्तर प्रदेश” (UP-TET) के नाम से जानी जायेगी।

1- शिक्षक पात्रता परीक्षा-उत्तर प्रदेश (UP-TET) हेतु अर्हता

(क) वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और बी०ए०ड० अर्हता अथवा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी०ए०ड०) उत्तीर्ण किया हो, जनवरी, 2012 तक कक्षा-1 से 5 तक के लिए नियुक्ति किए जाने का पात्र होगा बशर्ते कि नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा कर ले।

(ख) वह व्यक्ति जिसने डी०ए०ड० (विशेष शिक्षा) अथवा बी०ए०ड० (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा करेगा।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

तथा

(i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से:-

(क) प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में द्विवर्षीय बी०टी०सी०/सी०टी० (नर्सरी)

अथवा

(ख) नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) (द्विवर्षीय)

अथवा

(ii) उ०प्र० में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट/विशेष बी०टी०सी० प्रशिक्षण अथवा

(iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी०एल०ए०ड०)

अथवा

(iv) एक वर्षीय बी०ए०ड० (B.Ed.)

अथवा

(v) भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त बी०ए०ड० (विशेष शिक्षा)

2- परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम

शिक्षक पात्रता परीक्षा – उत्तर प्रदेश (UP-TET) के दो स्तर होंगे-

- प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5)
- उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8)